बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य सरकार द्वारा संचालित ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' (कक्षा–I से X तक) से संबंधित सूचना।

1. **योजना के संबंध में दिशा–निर्देश :**–राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के (कक्षा–I से X तक) के छात्र/छात्राओं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत हों को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चयन कर सत्यापनोपरांत छात्रवृत्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है।
2. **कार्यक्षेत्र** – पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यालय (कक्षा–I से X) जाने वाले बच्चो को छात्रवृत्ति दिया जायेगा।
3. **छात्र/छात्रा की पात्रता :**–
   (क) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
   (ख) जाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए।
   (ग) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोई आय अधिसीमा नहीं होगी, परन्तु पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक आधार पर उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) मात्र के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय होगी।
4. **छात्रवृत्ति की राशि :**– इस योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक वर्ष एकमुश्त किया जायेगा।

1	कक्षा–I से IV	रू0 600/– (छः सौ मात्र)
2	कक्षा–V से VI	रू0 1200/–(एक हजार दो सौ मात्र)
3	कक्षा–VII से X	रू0 1800/– (एक हजार आठ सौ मात्र)
4	कक्षा–I से X (छात्रवासी)	रू0 3000/– (तीन हजार मात्र)

5. **छात्रवृत्ति हेतु अन्य शर्त :**–
   (क) एक कक्षा के लिए एक ही बार अनुमान्य छात्रवृत्ति देय होगी।
   (ख) छात्र/छात्रा द्वारा अनुशासन या छात्रवृत्ति की शर्त का उल्लंधन करने पर छात्रवृत्ति को रोका या रद्द किया जा सकता है।
   (ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं को किसी अन्य प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
6. **क्रियान्वयन एजेंसी :**–
   योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाता है।
7. **चयन :**–
   शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का चयन/सत्यापन करने के पश्चात् छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (D.B.T) के माध्यम से किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट–https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html पर विभागीय संकल्प सं0–67, दिनांक–10.01.2023 का अवलोकन किया जा सकता है।

PR No.- 16820 (BC & EBC)D. 2022-23